

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:प.8(ग)(35)नियम/डीएलबी/2021/ 71517-71733 दिनांक: 26-10-2021

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,  
नगर निगम/परिषद्/पालिकाएँ,  
समस्त राजस्थान।

**विषय :-** नगरीय निकायों में अनुमति हेतु लम्बित लेय-फाइवर प्रकरणों एवं एन.ओ.सी जारी करने के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक 01.11.2021 के संबंध में।  
**प्रसंग:-** विभागीय पत्र क्रमांक 59667-883, 64114-327, 64599-812 एवं 3678-3891 दिनांक 18.06.2021, 16.08.2021, 09.09.2021, 10.09.2021, 20.09.2021 एवं 01.10.2021 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रमुख शासन सचिव, महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 15.09.2021 को लेय-फाइवर व लम्बित अनुमति के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की जायेगी। उक्त बिन्दुओं की सूचना विभागीय पत्र क्रमांक 59667-883, 64114-327, 64599-812 एवं 3678-3891 दिनांक 18.06.2021, 16.08.2021, 09.09.2021 एवं 10.09.2021, 20.09.2021 व 01.10.2021 द्वारा नगरीय निकाय से चाही गई थी। जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

अतः लम्बित अनुमति दिनांक 28.10.2021 से पूर्व जारी करते हुए सूचना ई-मेल आईडी [dlbalrsection@gmail.com](mailto:dlbalrsection@gmail.com) पर अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे ताकि बैठक में प्रकरणों का निस्तारण किया जाना संभव हो सकें। उपरोक्त सूचनाएं गुगल ड्राइव डीएलबी साईट पर भी अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

क्रमांक:प.8(ग)(35)नियम/डीएलबी/2021/ 71734-71743 दिनांक: 26-10-2021  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. ए.सी.पी (उपनिदेशक), आई टी अनुभाग, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को प्रेषित लेख है कि गुगल मेष पर डीएलबी की साइड पर डालकर शीघ्र सूचनाएं मंगवावे।
3. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
4. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी